रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 1994, (आषाढ़ 11, 1916)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2, 1994, (ASADHA 11, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

मद्रास-600034, दिनांक 16 मई, 1994

सं० 3-एस० सी० ए० (5)/14/93-94 :— इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-एस० सी० ए० (4)/3/93-94 दिनांक 11 जनवरी 1994 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है :

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	9695	श्री वेंकटासुब्रामनियन पी० वी०, एफ० सी० ए, फ्लैट नं० 10, ब्लोक बी, पी० ए० बिल्डिंगस 1 जीवा रत्नम नगर, अड्यार, मद्रास-600020	1-10-93
2.	10364	श्री मनी जी० ए० सी० ए, प्रोजेक्ट डवलपमेंट मैनेजर किंग मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, पी० ओ० बाक्स 500, मुशिन लागोस, नाइजीरिया	1-10-93
3.	14831	श्री देसिकन वी० ए० सी० ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्स, 5, सुन्दरराजा नगर, सुब्रामणिपुरम तिरुचिरापल्ली 620020	1-10-93
4.	15517	श्री विनोद शर्मा ए० सी० ए० चीफ फाइनेन्स मैनेजर (एल० पी० जी०), इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, 139, नन्गम्बक्कम हाई रोड मद्रास-600034	1-10-93

1	2	3	4
5.	19657	श्री प्रभाकर बी० ए, ए० सी० ए०, तेजस्वी, 1169, 1 मेन 2 ब्लाक बेल लेआउट, विद्यारान्यापुरा, बंगलौर-560013	1-10-93
6.	19952	श्री गैंटोन्डे गिरिश एम०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, सप्तापुर, थर्ड क्रास, धारवाड़-580001	1-10-93
7.	20387	श्री महिधर के०, ए० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्लाट नं० 44, फ्लैट 102, मेघना अपार्टमेंट्स, भाग्या नगर कॉ० कुकाटपल्ली, हैदराबाद-500872	1-10-93
8.	20486	श्री कल्यानारामन, एस०, ए० सी० ए, 1423 बी, अमोदू तिजानी स्ट्रीट, विक्टोरिया आइलैंड पी० बी० नं० 7793, लागोस, नाइजिरिया	1-10-93
9	21117	श्री देवादास एस०, एफ० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 211, 9 मेन रोडपा ब्लाक, जयानगर, बंगलौर-560011	1-10-93
10.	21145	श्री राम आर०, ए० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 5, रुकमनी रोड, कालाक्षेत्रा कालोनी, बेसंत नगर, मद्रास-600090	1-10-93
11.	21259	श्री बाबू थियागाराजन, ए० सी० ए, 111, बेंजामिन कोर्ट, बेटोन एनजे, 8810, यू० एस० ए०	1-10-93
12.	21356	श्री चन्द्रशेकरन, बी० जी, ए० सी० ए०, 12, रामन स्ट्रीट बी० 3 अलंकार आपार्टमेंट, टी० नगर, मद्रास-600017	1-10-93
13.	21607	श्री शैक मोहिदीन एस०, एफ० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, पेट्टइ, कदयानाल्लुर 627751	1-10-93
14	21653	श्री सम्पथ कुमार एस० ए० एफ० सी० ए, फ्लैट नं०-16, 40, सर सी पी रामास्वामी रोड, अभिरामापुरम मद्रास-600018	1-10-93
15	21696	श्री संथानम एन०, ए० सी० ए, सीनियर एकाउन्टेन्ट्स आफिसर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० मैसूर रोड बंगलौर-560026	1-10-93
16	22809	श्री सुब्बा राव के० बी०, ए० सी० ए, एसिसटेंट मैनेजर (एफ०), ए० पी० इस्टेट फाइनेनशियल कारपोरेशन 3-4-21 मैन रोड, संगारेड्डी-502001	1-10-93
17	22881	श्री नुकाराजू करागानी, एफ० सी० ए० सीनियर एकाउन्टेन्टस आफिसर मिल्क प्रोडक्टस फैक्टरी, विजयवाडा-520009	1-10-93
18	23174	श्री शेषागिरी, के० वी० एफ० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, 732, ओप्पनाकारा स्ट्रीट, 3 फ्लोर कोयम्बटूर-641001	1-10-93
19	23232	श्री अशोक पी०, ए० सी ए, के० आई० एच०एफ० डी फ्लैटस, 27, डा० अम्बेडकर रोड, वेलान्कीपलायाम पोस्ट कोयम्बटूर-641025	1-10-93
20	23638	श्री धम्मांगी यू० जी०, ए० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, 1938, कावालकर गल्ली, कर्नाटका इस्टेट बेलगांव-590002	1-10-93
21	23748	श्री अरामवलरपन एस०, ए० सी० ए, मुलाप्पकम, मन्नपमण्डल-609305	1-10-93
22	24038	श्री धर्मालिंगम बी० ए० सी० ए, 3 एस सनफ्लोवर अपार्टमेंटस, मण्डापम क्रास रोड, किलपोक, मद्रास-600010	1-10-93
23	24186	श्री नेगालूर रघवेन्द्रा वेंकटेश, एफ० सी० ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, लक्ष्मी निवास, फस्ट फ्लोर, टोरवी गल्ली, हुबली-580020	1-10-93

1	2	3	4
24	24300	श्री रघावन एम० बी, एफ० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 1, ए० पी० अरासु स्ट्रीट, कोडमेयूर रोड, मुलाकाबाई, मद्रास–600051	1–10–93
25	24426	श्री कृष्णामूर्थी एस० पी०, ए० सी० ए, नं० 12 साउथ स्ट्रीट, चप्राहाराम, सिगानाल्लुर, कोयम्बटूर–641005	1–10–93
26	24640	श्री सुधीर बाबू के० बी०, ए० सी० ए, कन्ट्रोलर आफ फाइनेन्स एण्ड एकाउन्टेन्टस, ग्रेटर कोचीन डवलपमेंट अथोरिटी, काडावन्थरा कोचीन–682020	1–10–93
27	24713	श्री अन्नादुराई पी०, ए० सी० ए०, नं० 5 एस० सी० पी०, फ्लैटस, 13, चक्रापाणी स्ट्रीट एक्सटेंशन, वेस्ट मम्बालम, मद्रास–600033	1–10–93
28	24715	श्री ग्रोसकार सी मलकुमरर, ए० सी० ए, केयर आफ ए बी एम आमरो बैंक, पी० ओ० बाक्स 2567, दुबई, यू० ए० ई०	1–10–93
29	25112	श्री ग विन्द राजन आर०, ए० सी० ए, सीनियर ब्रांच मैनेजर, सी० आई० सी हाउसिंग फाइनेन्स लि०, विनायक कोम्पलेक्स, 44/45 रेजीडेंसी रोड, क्रोस बंगलौर–560025	1–10–93
30	25163	श्री नरासिम्हाचारी एस० एन०, एफ० सी० ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, 188, गांधी रोड तिरूपती–517501	1–10–93
31	25199	श्री मोहन कुमार ए० बी०, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस नं० 13, मंजुनाथा निलाया विवेक नगर, एक्सटेंशन बंगलौर–560047	1–10–93
32	25687	श्री ग्नानासेकरन, बी० ए० सी० ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस नं० 38, नेहरू नगर पान्डिचेरी–605011	1–10–93
33	26183	श्री ग [illegible] शवा राव के ए० [illegible]० ए, 8–[illegible]–977/8/5, येल्ला रेड्डीगुड्डा हैदराबाद–500873	1–10–93
34	26342	श्री वसन्थ कुमार सी० आर० एफ० सी० ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस जे० पी० एन० रोड शिमोगा 577201	1–10–93
35	26952	श्री वी० अरूणाचलम ए०सी० ए नेल्लीयन स्टोक्स 127 1 फ्लोर डी० एस० रोड, आर० एस० पुरम कोयम्बटूर–641002	1–10–93
36	26859	श्री कृष्णनन जी०, एफ० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस प्रेमियर शापिंग काम्पलेक्स, 1 फ्लोर 102, सरधा कालेज, मेन रोड सेलम–636016	1–10–93
37	27077	मिस विजयाश्री डी० चारी ए० सी० ए नं० 89, हबिबुल्लाह रोड, टी० नगर मद्रास–600017	1–10–93
38	27626	श्री नरसिम्हा रेड्डी एम०, ए० सी० ए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस न० 530/39, 10 सी मेन रोड 6 ब्लाक राजाजीनगर बंगलौर–560010	1–10–93
39	27756	श्री मधुकर बाबू के० ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, प्राइस वाटर हाउस, पी० ओ० बाक्स, 26403, मनामा बहरीन	1–10–93
40.	28072	श्री मोहना राव पी०, ए० सी० ए० प्लाट नं० 14, सालीवाहना नगर कालोनी नियर श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद–500873	1–10–93
41.	28165	श्री गनेश च० एस० आर० बी० जी० के० ए० सी० ए एसिस्टेंट मैनेजर(एफ० एण्ड ए०) विशाखापटनम स्टील प्लांट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स विशाखापटनम–530031	1–10–93
42.	28232	श्री वज्जलू जयन्थी, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फ्लैट नं० 18, बबिना अपार्टमेंटस, बिहाइंड चौधरी मैंसन, अमीरपेट, हैदराबाद–500016	1–10–93

1	2	3	4
43.	28275	श्री रमेश के० एं० सी०ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नं० 8, 11 स्ट्रीट, तांसी नगर, वेलाचेरी मद्रास-600042	1-10-93
44.	28941	श्री खटर रमेश कुमार के० ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 153, मिन्ट स्ट्रीट "भासिरबाद", 1 फ्लोर मद्रास-600079	1-10-93
45.	29154	श्री नारायनन एस० ए० सी० ए० नं० 33, 2 मारथियार स्ट्रीट, पलावन्थंगल, मद्रास-600114	1-10-93
46.	29155	श्री कान्न एस० आर०, ए० सी० ए० एकाउन्टेन्ट बहरेन फाइनेनसिंग कम्पनी, पी० ओ० बाक्स 243, मनामा स्टेट आफ बहरेन	1-10-93
47.	29183	श्री शिवारामन एस०, ए० सी० ए ए० एल० 112, 11 मैन रोड, अन्ना नगर, मद्रास-600040	1-10-93
48.	29255	श्री प्रसाद के०, ए० सी० ए० एल० यूसुफ इन्टरनेशनल एन्टरप्राइजिज, पी० बी० नं० 200, पी० कोड 113, मस्कट सल्तनत आफ ओमान	1-10-93
49.	29276	श्री ग्नानासकरन ई० एस, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 43, न्यम अग्राहरा स्ट्रीट इरोड-638001	1-10-93
50.	29375	श्री नाथ ए० एस०, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एच-3, जवाहर नगर त्रिवेन्द्रम-695041	1-10-93
51.	29400	श्री कृष्णामूर्ती नायडू पी०, ए० सी० ए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फ्लाट नं० 201, प्रासाश्थ अपार्टमेंटस (ओल्ड) सुभाष नगर, श्रीनगर, कालोनी हैदराबाद-500873	1-10-93
52.	29479	श्री लक्ष्मी प्रसाद वी, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 1-2-597/6, लोवर टेंक बन्द रोड, डोमालगूडा, हैदराबाद-500029	1-10-93
53.	29525	श्री कलाइसलागन डी० ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स 9, बी० के० एच० बिल्डिंग 5, थेम्मामारन स्ट्रीट वेल्लोर-632001	1-10-93
54.	29560	श्री अब्दुल कादिर जैलानी रूकनुद्दीन ए० सी० ए० केयर आफ सिद्दीकी एण्ड बाशा एंट, पोस्ट बाक्स नं० 3235, दुबई, यू०ए० ई०	1-10-93
55.	29596	श्री रामाकृष्णा रेड्डी, आर०, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 7/4/1, 2 फ्लोर, 5 ब्लाक, 59 क्रोस नियर भाग्यम सर्कल बंगलौर-5 0010	1-10-93
56.	29707	श्री वेंकट (केस) के०, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 102 सश्री पेलेस, हिमायतनगर, हैदराबाद	1-10-93
57.	29745	श्री बालाकृष्णन पी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट डी नं० 24, 1 फ्लोर, 3 स्टेज 2 ब्लाक, बसवेश्वरा नगर (नियर अपैक्स बैंक) बंगलौर-560079	1-10-93
58.	29762	श्री गिरिधर जी०, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एफ 5 एण्ड 7 हैदराबाद बिजनेस सेन्टर हैदरगुडा हैदराबाद-500029	1-10-93
59.	29928	श्री प्रथिमा ए० एन० ए० सी० ए०, 150, 32 "ए" मेन 5 क्रोस, 3 लेआउट जे० पी० नगर फेज-1 बंगलौर-560078	1-10-93
60.	29982	श्री सुरेश एन० ए० सी० ए०, 56, एस० एन० आर० फ्लैट्स, जुबिली रोड, वेस्ट मम्बालम, मद्रास-600033	1-10-93
61.	31507	श्री मनोहर लाल पलरेचा, ए० सी० ए०, 50, मोरकायल स्ट्रीट, फस्ट फ्लोर, पुरसवाकम हाई रोड, मद्रास-600007	1-10-93

1	2	3	4
62.	41134	श्री कोप्पिकर योगिर मोहन, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बी—3, कृष्णा सीला 29, 8 मैन रोड, मालेश्वरम, बंगलौर—560003	1—10—93
63.	62333	श्री रामचन्दर सुमुलुक बी, ए० सी० ए०, 2—2—3/ए/3 बी, दुर्गाबाई देशमुख रोड हैदराबाद—500007	1—10—93
64.	73178	श्री सरंगापानल सी० एन०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 1—1—515 नियर बालाजी थियेटर काम्पलैक्स, गांधी नगर, हैदराबाद—500380	1—10—93
65.	83838	श्री रामन ए० एन०, ए० सी० ए०, डायरेक्टर स्विकोन मैनेजमेंट सर्विसिज (प्रा०) लि०, 249 साफी हाऊस (फस्ट फ्लोर), हाउण्ट रोड (अपोजिट तेयनमपेट कोंग), मद्रास—600006	1—10—93
66.	87579	श्री आशीष कनकन, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सी—3/104, कमल अपार्टमेंट्स, बनी पार्क जयपुर ।	1—10—93
67.	200202	श्री रोबसन जोयल बी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 60, 2 मैन रोड, आर० ए० पुरम०, मद्रास—600028	1—10—93
68.	200204	श्री सुधीर राव एम०, ए० सी० ए०, 'समा" 11 8 मेन 4 ब्लाक, बानाशंकारी 3 स्टेज, बंगलौर—560085	1—10—93
69.	200214	श्री बगवतुला चन्द्रा मोहन, ए० सी० ए०, डी० नं० 47—3—36, द्वारकानगर, विशाखापटनम—530016	1—10—93
70.	200430	श्री श्रीनिवासन के०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 612—ए० मेन रोड, कोविलपट्टी—627702	1—10—93
71.	200559	श्री अनन्या पदमानाभा एलसे ए०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 14/8, नरायनी अपार्टमेंट्स, श्रीनगेरी मट्ट रोड, आर० ए पुरम, मद्रास—600028	1—10—93
72.	200612	श्री मनोहर एस०, ए० सी० ए०, धनराम पोस्ट (वाया) पित्तूर, चित्तूर—517587	1—10—93
73	200628	श्री मृत्युनजया अनन्त हेगड़े, ए० सी० ए०, रूम नं० 6, 2 फ्लोर, 104/1, स्वास्तिक काम्पलेक्स, एस० सी० रोड, शेसाद्रीपुरम, बंगलौर—560020	1—10—93
74	200685	श्री मोहना मुराली एस०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्लाट नं० 45, सोजन्या कालोनी, न्यू बोवनपल्ली, सिकन्दराबाद—500011	1—10—93
75.	201288	श्री आनन्दारामाकृष्णन के०, ए० सी० ए०, 56, ओवर मेंसन, 23 मिल्सं रोड, किलपोक, मद्रास—600010	1—10—93
76.	201829	मिस सुजाथा फ्रेडरिक, ए० सी० ए०, नेशनल एरोमेटिक्स एण्ड टी डी पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, 480, अन्ना सलाई नन्दनम, मद्रास—600035	1—10—93
77.	202260	श्री राबुला श्रीधर राव, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 2, सेन्ट्रल व्यूज अपार्टमेंट, न्यू बोईगुडा, सिकन्दराबाद ।	1—10—93
78	202454	श्री प्रसन्ना एम० पी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नं० 1154, 3 मेन, 5 क्रास, अपोजिट राराराजेश्वरी, कल्याण मन्ता, प्रकाश नगर, बंगलौर—560021	1—10—93

ए० के० मजूमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक

सं. एन-15/13/14/8/87-यो. एवं वि.—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-5-1994 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिल नाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिल नाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात् :

"जिला एवं तालुक सलेम में राजस्व ग्राम इरूमापालायम, मसीनाइकानपट्टी, रेडीयूर ग्रुप और कन्डमपट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

ओ. अब्दुल हमीद,
निदेशक (यो. एवं वि)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई, दिनांक 6 जून 1994

सं. यू टी/डी बी डी एम/2125ए/एस पी डी 71 एफ/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत निर्मित मासिक आय यूनिट प्लान 1994(2) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई मासिक आय यूनिट योजना 1994 (2) के प्रावधान 2 मई, 1994 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं और 16 मई, 1994 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में संशोधित किए गए हैं, जो इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

जी. प्रदीपकुमार,
उप प्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

मासिक आय यूनिट प्लान 1994(2)

एम आइ पी 1994(2)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 और उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) (8) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार ऐसी यूनिट योजना से संबंधित मासिक आय यूनिट योजना और प्लान बनाता है ।

मासिक आय यूनिट योजना 1994 (2) के उपबंध

[एम आइ यू एस 1994 (2)]

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना मासिक आय यूनिट योजना 1994 (2) [एम आइ यू एस 1994 (2)] कही जाएगी ।

(2) यह 23 मई, 1994 को लागू होगी ।

यह योजना 1 जुलाई, 1994 से 30 जून, 1998 तक चार वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(3) यूनिट की बिक्री की अवधि 23 मई, 1994 से 6 जून, 1994 तक केवल 15 दिन की होगी ।

लेकिन, अध्यक्ष या कार्यपालक न्यासी प्रमुख समाचार पत्रों में या यथास्थिति किसी अन्य तरह से 7 दिन की पूर्व सूचना देकर कभी भी इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट की बिक्री स्थागित कर सकता है या उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 है;

(ख) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और

(ग) "आवेदक" का अर्थ है योजना के अंतर्गत किसी आवेदक से है और उसमें मानसिक विकलांग व्यक्ति के लिए यूनिट की बिक्री के प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक शामिल है ।

(घ) "आवेदन" का अर्थ प्लान के खंड 2 में संदर्भित आवेदन है ।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य नियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है और उसमें ऐसा निजी ट्रस्ट शामिल है, जो किसी लिखत द्वारा निर्मित हो अप्रतिसंहरणीय हो और तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अंतर्गत प्रशासित, नियंत्रित या पर्यवेक्षित कोई धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या धर्मार्थ या पंजीकृत समिति हो या पंजीकृत सहकारी समिति हो ।

(च) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति, जो इस प्रकार की मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रहता हो और पंजीकृत चिकित्सा द्वारा उसी रूप में प्रमाणित हो ।

(छ) "निर्गत समझी जाने वाली यूनिटों की संख्या" का अर्थ बिक्री की गई और बकाया शेष यूनिटों की कुल संख्या है ।

(ज) "व्यक्ति" में ऊपर यथा परिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(म) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे तत्समय प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।

(य) "विनियमावली" का अर्थ है अधिनियम की धारा 43(1) के अंतर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(ट) "समिति" का अर्थ तत्समय प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अंतर्गत स्थापित समिति है ।

(ठ) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है ।

(ड) "सदस्य" योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त सदस्य का अर्थ है और उसमें शामिल है वह आवेदक, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित की गई है ।

(ढ) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में वह माता-पिता है, जो नाबालिग की ओर से आवेदन करने वाले माता-पिता से हो ।

(ण) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिये गये हैं ।

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन ।

(1) इस योजना में आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :

(अ) नकदी (आ) निवेश और (इ) अन्य आस्तियां ।

(2) निवेशों के मूल्यांकन में निम्नलिखित लिए जाएंगे :

अ. (क) जिस कार्य दिवस को मूल्यांकन किया जाएगा उस कार्य दिवस को ट्रस्ट द्वारा धारित इस योजना से संबंधित प्रतिभूतियों का शेयर बाजार में बन्द मूल्य, लेकिन जहां प्रतिभूति का भाव एक से अधिक शेयर बाजारों में कोट हो रहा हो, वहां ऐसी प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण की विधि ट्रस्ट द्वारा तय की जाएगी ।

(ख) जहां संबंधित अवधि में किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में किसी निवेश का सौदा नहीं हुआ हो या भाव कोट नहीं किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में ट्रस्ट ऐसे निवेश का जो भी मूल्य तय करेगा, वही उचित मूल्य होगा और

आ. निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :

(क) ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशियों के मामले में प्रोद्भूत लेकिन अप्राप्त ब्याज;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में प्रोद्भूत लेकिन अप्राप्त ब्याज, और

(ग) लाभांश रहित भाव वाले अधिमान शेयर और इक्विटी शेयर के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश ।

(3) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य पर किया जाएगा ।

4. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसी यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इसके विपरीत किसी नोटिस से या न्यास निष्पादन की नोटिस से उस बात को छोड़कर जैसा इसमें व्यक्त रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि इस योजना से संबंधित यूनिटों में हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए, बाध्य नहीं होगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट किसी न्यास को ध्यान में रखेगा । ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिये आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा ।

5. यूनिट का अंतरण :

इस योजना में निर्गत यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य/समनुदेशनीय नहीं है ।

6. निवेश सीमा :

(1) किसी भी कम्पनी की प्रतिभूतियों में ट्रस्ट द्वारा योजना की निधि का निवेश ऐसी कम्पनियों के निर्गत और बकाया प्रतिभूतियों के 15% से अधिक नहीं होगी । लेकिन, किसी नये औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रारम्भ में निर्गत पूंजी में ऐसा कुल निवेश उक्त निधियों की कुल राशि के 5% से अधिक नहीं होगी ।

(2) उप खण्ड (1) में निर्धारित सीमा किसी कम्पनी के सूचीकृत या असूचीकृत बांड और डिबेंचर तथा जमा राशि में ट्रस्ट के निवेश पर लागू नहीं होगी ।

7. विकास प्रारक्षित निधि अंशदान :

इस योजना के अंतर्गत संग्रहित निधि का 0.25% पहले वर्ष में यू टी आई के विकास प्रारक्षित निधि में और उसके बाद शुद्ध औसत मूल्य प्रतिवर्ष 0.05% की दर से अंशदान करने के लिये अलग रख दिया जाएगा ।

8. लेखे का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को संभाव्य अवधि की योजना और उसके अंतर्गत बने

प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट किसी सदस्य से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखे की एक प्रति भेजेगा ।

9. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना कार्यालयीन गजट में की जाएगी ।

10 योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की पूर्णतः समाप्ति 30 जून 1998 को होगी । जिन सदस्यों ने योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की पूरी अवधि तक भाग लिया है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिट के मूल्य का भुगतान किया जाएगा । ट्रस्ट निगम/रजिस्ट्रार कार्यालय में पुनर्खरीद पत्र सहित सदस्यता सूचना की प्राप्ति के 3 सप्ताह के भीतर सदस्यों को पुनर्खरीद मूल्य आगम का भुगतान करने का प्रयास करेगा । निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य के अलावा बाद की किसी अवधि के लिये पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । पुनर्खरीद के लिये प्राप्त सदस्यता सूचना और अन्य फार्म निरस्तीकरण के लिये रख लिये जाएंगे ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की प्रतिलिपि सभी संशोधन सहित पूरे कार्य-समय के दौरान ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी और आवेदन करने तथा पांच रुपये का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

12. उपबंधों के निर्वचन का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों का निर्वचन का अधिकार होगा । ऐसा निर्वचन किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान जैसे योजना में कहा गया है, तक दूसरे को संयुक्त पढ़ा जाए ।

13. उपबंधों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिये योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

14. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इसमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति, मानो वे योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हों, के लिये बाध्यकारी होंगे ।

15. सदस्यों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों ।

मासिक आय यूनिट प्लान 1994 (2) [एमआईपी 94(2)] के उपबंध ।

1. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत निर्गत प्रत्येक यूनिट का मूल्य दस रुपये होगा ।

2. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते हैं, जैसे

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में/उत्तरजीवी आधार पर ।

(ख) माता-पिता, सौतेला माता-पिता या नाबालिग निवासी की ओर से अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकता ।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल हैं ।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये कोई व्यक्ति ।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(छ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत निर्मित बैंक और अलाभकारी कम्पनी सहित अन्य नियमित निकाय लेकिन कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य कम्पनी शामिल नहीं हैं ।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जायेंगे ।

3. न्यूनतम निवेश राशि :

मासिक आय विकल्प संबंधी आवेदन न्यूनतम 500 यूनिटों के लिए और उसके बाद 50 यूनिट के गुणक में आवेदन किया जायेगा । इसी प्रकार संचयी विकल्प के अंतर्गत आवेदन न्यूनतम 200 यूनिट के लिए और उसके बाद 50 यूनिट के गुणक में किया जाएगा । दोनों में से किसी भी विकल्प में कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

4. भुगतान विधि :

(1) किसी आवेदन द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । जहां आवेदन यूटीआई के कार्यालयों में जमा किये जाएंगे, वहां चैक या ड्राफ्ट उस शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं, जहां स्थित कार्यालय में आवेदन किया जाए ।

लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट से भिन्न स्थान पर आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिट के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार घटाकर बैंक ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है ।

(2) यदि भुगतान चैक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चैक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चैक की वसूली हो ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो । लेकिन आवेदन ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गए समय के भीतर ट्रस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए । यदि आवेदित यूनिट के लिए भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिट के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिटें जारी की जाएंगी, जितनी इस योजना के अंतर्गत की जा सकेंगी उसको देय शेष राशि ट्रस्ट यथोचित रीति उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी ।

(3) सदस्यता सूचना आवेदक द्वारा दिये गये पते पर डाक द्वारा भेजी जाएगी । ट्रस्ट पर इस प्रकार प्रेषित सदस्यता सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी होने या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व नहीं होगा ।

(4) ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था या निगमित निकाय को निर्गत सदस्यता सूचना उस पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम से बनाया जायेगा ।

(2) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने ही विवेक पर योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिये आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर बिना किसी ब्याज के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक के लिये योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा । ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके ही विवेक पर होगी । गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाले व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण के लिए दायी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा । ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में सममूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करें और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद आगम से करें और शेष वापस कर दें । पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद आगम भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5. यूनिट की बिक्री :

ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को सदस्यता सूचना जारी करेगा । जो इस बात का साक्ष्य होगा कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । प्रेषित सदस्यता सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी होने या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

1. [मासिक आय यूनिट योजना और वृद्धि सहित अतिरिक्त बोनस–12 (एमआइएसजी–12) तथा बढ़ती आय यूनिट योजना-89 (जीआइयूएस-89) में यूनिट धारक को प्रतिपूर्ति विकल्प

एमआइएसजी (12) 89 की अवधि 01-07-1994 को पूरी हो जाएगी जीआइयूएस 89 की अवधि गजिना में शामिल होने की तिथि के आधार पर 01-07-1994 या 01-08-1994 को भुगतान के लिए पूरी हो जाएगी । दोनों योजनाओं के पात्र यूनिटधारकों को इस योजना (या यथास्थिति प्लान) की यूनिटों में पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा । इस प्रयोजनार्थ यह योजना (या यथास्थिति प्लान) 1 जुलाई 1994 से 31 अगस्त 1994 तक खुली रहेगी । ऐसे सदस्यों के लिए आबंटन तिथि 1-9-1994 होगी । धारण अवधि चार वर्षों की अर्थात् 31-8-1998 तक होगी ।]

6. यूनिट की पुनर्खरीद

(1) अवरुद्ध अवधि एक वर्ष की होगी । प्रथम वर्ष (अर्थात् 30-6-1995 तक) में कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी ।

(2) मासिक आय विकल्प :

ट्रस्ट दूसरे वर्ष में अंकित मूल्य के 5% तक प्रशासनिक खर्च काटकर और पिछले महीने तक का लाभांश जोड़कर सममूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करेगा । तीसरे वर्ष (अर्थात् 1-7-1996)

1. 16-5-94 को जोड़ा गया ।

से यूनिट की पुनर्खरीद अंकित मूल्य के 2% तक प्रशासनिक खर्च काटकर और पिछले महीने तक का लाभांश जोड़कर सममूल्य पर होगी। सम्यक रूप से भरे गए पुनर्खरीद पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर पुनर्खरीद की जाएगी। सूचना में अंकित सभी यूनिट पुनर्खरीद के लिए पेश की जानी चाहिए। यूनिट की आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह तक के बकाया शेष अदत्त आय वितरण वारण्ट ट्रस्ट को सौंपना होगा।

ट्रस्ट पुनर्खरीद पत्र सहित सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर भावी महीनों के लिए यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और न ही पुनर्खरीद आगम पर कोई ब्याज देय होगा। प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारण्ट हों, यदि निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे।

(3) पूर्ववर्ती उप-खंडों में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारण्ट की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद पत्र प्राप्त हो जाने के बाद सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाएगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा।

(4) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार सदस्य को पूरे वर्ष तक यूनिट रखना होगा। वर्ष के किसी भाग के लिए यूनिट रखने वाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिए, जो हमेशा पूर्ण अंग्रेजी कैलेन्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वैध प्रतिनिधि या नामिति द्वारा सदस्यता सूचना, पुनर्खरीद पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारण्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें उपर उपखंड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान पूरे महीने की अवधि के लिए किया जाएगा।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि हो, करने के बाद पुनर्खरीद की गयी यूनिटों के लिए भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथोल्लिखित रीति से किया जाएगा। आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चैक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) संचयी विकल्प :

संचयी विकल्प के मामले में ट्रस्ट दूसरे वर्ष अंकित मूल्य के 5% तक प्रशासनिक खर्च काटकर इसमें ऊपर संबंधित खंड में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्खरीद की स्थिति में मासिक आय विकल्प के अंतर्गत प्रदत्त लाभांश के बराबर प्रतिकर की राशि जोड़कर यूनिट की पुनर्खरीद सममूल्य पर करेगा दो वर्ष पूरा होने के बाद (अर्थात 30-6-1996 तक ट्रस्ट के सदस्यों के लिए) यूनिट की पुनर्खरीद प्रति यूनिट रुपए 12.95 पर की जाएगी। तीसरे वर्ष (अर्थात् 01-07-1996 से) यूनिट की पुनर्खरीद अंकित मूल्य के 2% तक प्रशासनिक खर्च काटकर इसमें ऊपर संबंधित खंड में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्खरीद की स्थिति में मासिक आय विकल्प के अंतर्गत प्रदत्त लाभांश के बराबर प्रतिकर की राशि जोड़कर सममूल्य पर की जाएगी। आंशिक पुनर्खरीद की भी अनुमति दी जाएगी।

7. यूनिट की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हो;

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बंदी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बंदी हो।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

8. बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य :

(1) यूनिट की बिक्री पेशकश की अवधि में यूनिट का बिक्री मूल्य सममूल्य होगा।

(2) योजना के उपबंधों में खंड 10 में यथाविनिर्दिष्ट रीति से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति की स्थिति में ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण निम्न रूप में करेगा। योजना की समाप्ति के लिए अधिसूचित तिथि को कार्य समाप्ति के समय इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसमें योजना संबंधित देयताओं को घटाया जाएगा। उसके बाद उसमें बकाया यूनिटों से भाग देकर तथा उसमें उतनी राशि घटाकर, जो ट्रस्ट की राय में दलाली, कमीशन कर, यदि हो, स्टाम्प शुल्क तथा ट्रस्ट द्वारा निवेशों की वसूली से संबंधित अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त हों। उसके बाद अन्य समायोजन करके तथा समाप्ति संबंधी खर्च निकलने तथा सदस्यों को योजना की आस्तियों के वितरण का भुगतान करके पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा। ऐसी स्थिति में पुनर्खरीद मूल्य ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा संतोषजनक रीति से तथा उसके बोर्ड के अनुमोदन से निकाली गई प्रति यूनिट आस्ति के अन्य वितरण योग्य घटकों के सममूल्य के अतिरिक्त होगा।

इस उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के बावजूद बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से आबंटन की अवधि के संदर्भ में योजना को आबंटित आस्तियों के मूल्य में भाग देकर उक्त दिवस को कार्य की समाप्ति पर यूनिट की संख्या द्वारा समान अवधि के संदर्भ में योजना से संबंधित देयताओं को घटाकर पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य के ऐसे निर्धारण में ट्रस्ट और सदस्यों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा।

9. अंतिम पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

योजना के उपबंधों में खंड 10 में यथा उपबंधित रीति से योजना और उसके अंतर्गत बने पलान की समाप्ति पर ट्रस्ट अंतिम पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद यथाशीघ्र ऐसी रीति से, अंतिम पुनर्खरीद मूल्य को प्रकाशित करेगा ।

10. सदस्यता सूचना :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जारी यूनिटों की सदस्यता के संबंध में किसी सदस्य को यूनिट/सदस्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । उनको सदस्यता सूचना दी जाएगी, जो योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकृति का साक्ष्य होगा ।

11. सदस्यता सूचना तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना इसके साथ संलग्न फार्म 'क' के अनुसार होगी।

12. सदस्यता सूचना का विनिमय और उसके कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाए जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

13. सदस्यों की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम की यूनिटों का धारक हो गया ।

(2 सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तद्नुसार पंजी में परिवर्तन किया जाएगा । किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक की मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तद्नुसार की जाएगी ।

(3) केवल पंजी 'बंदी' को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य-समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 60 दिन से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निर्हिस और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

14. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । ट्रस्ट आवेदन में ऐसे व्यस्क द्वारा किए गए कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणपत्र के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए ट्रस्ट किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन और प्रमाणपत्र के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है । ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकाय या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियों आदि प्रबंध निकाय द्वारा बहिर्नियम उप-विधियों आदि प्रबंध निकाय द्वारा मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

15. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की यूनिट के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिए उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

16. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) एकल या संयुक्त रूप से यूनिट रखने वाले दो सदस्य विनियमों में उपबंधित सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ।

(2) सदस्यों को जो माता-पिता होगा किसी नाबालिग की ओर से वैकल्पिक अभिभावक तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

17. सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन.

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी। लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट द्वारा विनियमावली के अंतर्गत यूनिट के संबंध में और ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नहीं किए जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिट के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(4) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिए पर्याप्त समझे गए साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि सदस्यता सूचना में उल्लिखित एकमात्र नामिती यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती अपनी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितनी यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतनी यूनिट का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो, यथास्थिति आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

अवरुद्ध अवधि में संचय विकल्प के अंतर्गत भाग लेने वाले एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिए गए ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा।

18. आय वितरण :

(1) सदस्य को मासिक आय विकल्प या संचयी विकल्प में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा। यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

मासिक आय विकल्प प्रथम दो वर्षों के लिए अर्थात् 01-07-1994 से 30-06-1994 तक, इस योजना में आय वितरण 13% वार्षिक की दर से किया जाएगा।

1½ वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् दिसम्बर 1995—जनवरी 1996 में अगले दो वर्षों के लिए लाभांश की दर निर्धारित और घोषित की जाएगी। यह दर शेष दो वर्षों के लिए लागू होगी।

आय वितरण की दर योजना की आय और अन्य संबंधित घटकों पर आधारित होगी।

(2) प्रत्येक मास के लिए आय वितरण अगले महीने के प्रारंभ में देय होगी और पूर्व भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारन्ट या लिखित के माध्यम से किया जाएगा।

ऐसी यूनिटें जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या उसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी है, पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगी और जो यूनिटें महीने की 15 तारीख के बाद बिक्री की गई हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगी। लाभांश की हकदारी का आधार शामिल होने की तिथि निम्न रूप में होगी —

23-05-1994 से 31-05-1994—आधे महीने का लाभांश

01-06-1994 से 06-06-1994—पूरे महीने का लाभांश

यदि कोई आवेदक संचयी विकल्प अपनाता है तो उसे 30 जून 1994 तक की अवधि के लिए एक समेकित वारन्ट का भुगतान किया जाएगा।

1 [एम आइ एस जी 12 और जी आइ यू एस 89 के ऐसे यूनिट धारक, जो प्लान में अपने परिपक्वता आगम के पुनर्निवेश का विकल्प देंगे, उनको आय वितरण निम्न रूप में किया जाएगा —

जो महीने की 15 तारीख या उसके पहले शामिल होंगे,]

1 [उनको पूरे महीने का लाभांश दिया जाएगा। जो महीने की 15 तारीख के बाद शामिल होंगे, उनको आधे महीने का लाभांश दिया जाएगा।

संचयी विकल्प अपनाने वाले सदस्यों को 31 अगस्त 1994 तक की अवधि के लिए समेकित वारन्ट दिए जाएंगे।

(3) 31 दिसम्बर 1994 को समाप्त अवधि का आय वितरण एक आय वितरण वारन्ट के द्वारा किया जाएगा और 30 जून 1996 तक के महीने के लिए सदस्य को उसके साथ 18 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेजे जाएंगे।]

2 [एम आइ एस जी 12 और जी आइ यू एस 89 के ऐसे यूनिट धारक जो प्लान में अपने परिपक्वता आगम के पुनर्निवेश का विकल्प देंगे, उन्हें 28 फरवरी 1995 से समाप्य अवधि का आय वितरण एक आय वितरण वारन्ट के माध्यम से किया जाएगा और 31 अगस्त 1996 तक की अवधि के लिए सदस्य को उसके साथ 18 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेजे जाएंगे।]

---

1 16-05-1994 को जोड़ा गया।

1 और 2 16-05-1994 को जोड़ा गया।

शेष दो वर्षों के लिए संशोधित लाभांश दर के निर्धारण के बाद यथाशीघ्र 24 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेजे जाएंगे ।

लेकिन ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित रीति से और अवधि के लिए ऐसे सदस्यों के लिए, जिन पर लागू होगा, उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेजने का ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंध के अनुसार मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारन्ट से लाट में भेजे जाएंगे और वारन्ट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारन्ट को भुना सके । हरेक वारन्ट तीन महीने के लिए वैध रहेगा ।

वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारन्ट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में, जो हमेशा पूर्णता में होगी, अदत्त वारन्ट की सुपुर्दगी नहीं करने पर सदस्य अगल महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में शेष वारन्टों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारन्ट की राशि पुनर्खरीद आगम से काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती यूनिटें रखने का पात्र है और आगे की यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा एकमात्र नामिती आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अर्जित सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा । लेकिन आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नए प्रविष्ट सदस्य के पक्ष करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग किसी व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जाए, वहां वैकल्पिक आवेदक का आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अर्जित सभी आय वितरण वारन्ट वापस करना होगा । लेकिन ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने वाले समय के लिए कोई ब्याज या और प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(8) पूर्ववर्ती उपखण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद यथास्थिति, तिमाही, छःमाही या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने चाहे व्यय औचित्य, सदस्यों के हित या अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाए, का ट्रस्ट का अधिकारी सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में ट्रस्ट अंग्रेजी भाषा के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को सूचित करेगा । ट्रस्ट द्वारा ऐसी सूचना देने के बाद किसी भी सदस्य को मासिक आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

(9) संचयी विकल्प : इस विकल्प में शामिल होने के अधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य के निवेश में प्रथम दो वर्षों के लिए 13% वार्षिक की दर से मासिक चक्रवृद्धि होगी । शेष दो वर्षों के लिए लाभांश की दर $1\frac{1}{2}$ वर्ष की समाप्ति पर मासिक आय विकल्प के लिए घोषित दर से 0.5% अधिक होगी और उसमें उसी दर से मासिक चक्रवृद्धि होगी ।

(10) बोनस लाभांश : इस योजना में कोई बोनस लाभांश नहीं दिया जाएगा ।

(11) परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि

योजना में जब भी पूंजी वृद्धि संचित होगी, परिपक्वता तक सदस्यता बरकरार रखने वालों को खर्च आदि की कटौती करने के बाद उसका वितरण किया जाएगा ।

फार्म ए

— प्रतीक —

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मासिक आय यूनिट प्लान—1994 (2)

(खण्ड 11)

सदस्यता सूचना

मासिक आय यूनिट प्लान—1994 (2) [एमआइपी—94 (2)] के अन्तर्गत जारी किए गए मासिक आय यूनिट योजना-1994 (2) [एमआइयूएस—94 (2)] के उपबंधानुसार निर्गत :

अहस्तांतरणीय

सदस्यता सं.

यूनिटों की संख्या (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रति यूनिट)

सदस्य का नाम

पता

दूसरे सदस्य का नाम

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट
आंचलिक प्रधान

स्थान :

तिथि :

एमआइपी—94 (2) के अन्तर्गत यूनिटों

की पुनर्खरीद करने के लिए आवेदन पत्र

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

दिनांक :

मैं/हम, ———— भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मासिक आय यूनिट प्लान 1994 (2) [एमआइपी 94 (2)] की सदस्यता सूचना सं. ———— में अंकित———— यूनिट के पंजीकृत सदस्य/उत्तरजीवी/नामिती/उत्तराधिकारी/मृत सदस्य (यों) के विधिक प्रतिनिधि हूं/हैं और सदस्यता सूचना में अंकित सभी उक्त यूनिट इस आवेदन पत्र की स्वीकृति तिथि को प्रचलित मूल्य/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर ट्रस्ट को बेचने का/के इच्छुक हूं/हैं ।

संबंधित सदस्यता सूचना संलग्न है ।

यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य मुझे/हमें* चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा नीचे दिए गए पते पर भेज दिया जाए ।

सदस्य (यों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1. ----------------

2. ----------------

साक्षी का हस्ताक्षर

नाम

पेशा :

पता :

[यदि शैली (स्टाइल) में अंतर हो और उसे बैंकर द्वारा सत्यापित है जहां बैंक के केस चेक/मांग ड्राफ्ट सीधे भेजे जाएंगे तो। सदस्य का पता/बैंकर का पता दिया जाना चाहिए ।

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

स्वीकृति तिथि

खाता सं. ----------------

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

** यदि सदस्य अगूठे का निशान लगा रहा है, तो उसे दण्डाधिकारी/नोटरी/राज्य/केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी या आरबीआई/आईडीबीआई के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

बम्बई, दिनांक 6 जून 1994

सं. यूटी/डीबीडीएम/2125 ए/एसपीडी 51/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई यूनिट योजना 1964 के उपबंधों में किए गए संशोधन जिन्हें 16 मई 1994 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया है, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं ।

जी. प्रदीप कुमार,

उप प्रबंधक

व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

यूनिट योजना 1964 के उपबंधों में संशोधन

1. यूनिट योजना 1964 के उपबंधों में "यूनिट के लिये आवेदन पत्र" से संबंधित खंड 4 के उप-खंड (4) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : आवेदित यूनिट की न्यूनतम संख्या 100 यूनिट और उसके बाद 100 यूनिटों के गुणक में होगी ।

2. यूनिट योजना 1964 के उपबंधों में "यूनिट के लिये आवेदन पत्र" संबंधी खंड 4 के उप-खंड 5(बी) में यथापरिलक्षित शब्द "पचास" को "सौ" से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. यूनिट योजना—1964 के उपबंधों में "यूनिट की बिक्री" संबंधी खंड 6 में अंतिम वाक्य को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :

"उसके बाद यथाशीघ्र" ट्रस्ट उसके द्वारा प्रस्तुत यूनिट के लिए आवेदन के आधार पर बेची गई यूनिट से संबंधित यूनिट प्रमाण पत्र आवेदक को जारी करेगा । प्रत्येक आवेदन न्यूनतम एक सौ यूनिट के लिये उसके बाद अतिरिक्त आवेदन सौ यूनिट के गुणक में होगा ।

4. यूनिट योजना 1964 के उपबंधों में यूनिट की पुनर्खरीद के खंड 7 के उप खंड 1 में शब्द "पचास" को शब्द "सौ" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

5. योजना के उपबंधों के खंड 7 के उप-खंड (1) (2) में शब्द "पचास" को शब्द "सौ" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

6. यूनिट योजना 1964 के उपबंधों में खंड 7 के उप-खंड (1) (3) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

(3) यूनिट प्रमाण पत्र में समाविष्ट की अंशतः बिक्री करने पर ट्रस्ट विक्रेता के द्वारा धारित शेष यूनिट के लिये उसको प्रमाण पत्र जारी करेगा । यदि आधारिक न्यूनतम 100 यूनिट के अलावा न्यूनतम सौ यूनिट और 100 यूनिट के गुणक में हो तो ट्रस्ट केवल शेष के लिये प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

7. यूनिट योजना 1964 के उपबंधों में "यूनिट प्रमाण-पत्र" संबंध खंड 12 को "यूनिट प्रमाण पत्र सौ के गुणक में यूनिट के किसी भी मूल्यवर्ग को हो सकता है ।"

8. यूनिट योजना 1964 के उपबंधो मे खंड 16 के उपखंड के पहले पैरा मे जहा कही शब्द "पचास" परिलक्षित हो, उसे शब्द "सौ" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

9 यूनिट योजना 1964 के उपबंधो मे खण्ड 20 के उप-खंड (1) मे शब्द "पचास" को शब्द "सौ" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और दूसरे वाक्य को निम्नलिखित रूप मे प्रतिस्थापित किया जाता है :

"यूनिट के अंतरण के फलस्वरूप शेष यूनिट सौ के गुणक मे न हो तो अनिवार्यत उसकी पुनर्खरीद की जाएगी ।"

उक्त उप-खंड मे निम्नलिखित वाक्य को जोडा जाता है :

"यदि यूनिट प्रमाण पत्र के अंतर्गत सभी यूनिट अंतरण के लिये पेश की जाती है तो यूनिट की संख्या 100 के गुणक में नही होने के बावजूद उसे स्वीकार किया जाएगा ।"

सं. यूटी/जीडीडीएम/2125 ए/एसपीडी-55/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 के उपबंधों मे किए गए संशोधन जो 16 मई 1994 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक मे अनुमोदित किए गए है, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते है ।

जी. प्रदीप कुमार,
उप प्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

बाल उपहार वृद्धि कोष 1986 (सीजीजीएफ 86) के उपबंधों में संशोधन

1. "यूनिट का अंकित मूल्य" संबंधी खंड 3 को निम्नलिखित रूप मे संशोधित किया जाता है ।

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा और न्यूनतम निवेश 200 यूनिट (अर्थात् रु 2000/-) और उसके बाद 100 यूनिट के गुणक मे होगा, लेकिन इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

2. "यूनिट की पुनर्खरीद" संबंधी खंड 10 1(1) के दूसरे पैरा मे शब्द "10 यूनिट के गुणक" के स्थान पर "100 यूनिट के गुणक" और तीसरे पैरा में शब्द "50 यूनिट से कम" के स्थान पर "200 यूनिट से मे कम" रखा जाएगा ।

3. खंड 25 बी (2) के दूसरे पैरा को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है

"जब किसी बालक की उम्र 21 वर्ष की हो जाए और वह पुनर्खरीद के लिये कोई आवेदन नही करे तो घोषित आय वितरण, यदि हो, बालक के खाते में जमा बकाया यूनिटों पर उपचित होगा और जब तक यूनिटधारक पुनर्खरीद के लिये प्रमाण पत्र सुपुर्द नही करता तब तक ट्रस्ट द्वारा हरेक वर्ष आगे की यूनिटो में पुनर्निवेश किया जाता रहेगा ।"

सं. यूटी/जीडीसीएम/2125 ए/एसपीडी-64/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 19(1) (8) (सी) के अन्तर्गत बनाए गए चिल्ड्रेन्स कालेज एण्ड कैरियर प्लान 1993 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963, (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाए गए चिल्ड्रेन्स कालेज एण्ड कैरियर फण्ड यूनिट योजना 1993 मे किए गए संशोधन जिन्हें 16 मई 1994 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया है, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं ।

जी प्रदीप कुमार,
उप प्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

चिल्ड्रेन कालेज एण्ड कैरियर फण्ड यूनिट योजना 1993 और प्लान (सीसीसीएफ 93) के उपबंधों मे किए गए संशोधन जो इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

1. योजना के उपबंधो के खण्ड 3 मे और प्लान के उप-बंधो के खण्ड 1 में शब्द "इसके बाद 50 यूनिटों के गुणजो मे" इसे "इसके बाद 100 यूनिटों के गुणजो मे" से बदला जाता है ।

2. "पुनर्खरीद का शपथन" में अंक दूसरे स्तम्भ में प्रतीत अंक "50" को अंक "100" से बदला जाता है ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600034, dated the 16th May, 1994

(Chartered Accountants)

No 3SCA(5)/14/93-94—With reference to this Institute notification No. 3SCA(4)3393-94 dated 11th January 1994 itis hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountant Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regnlation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons :

Sl No.	MRN	Member Name & Address	Rest · Date
1	2	3	4
1.	009695	Mr. Venkatasubramaniam P.V., FCA, Flat No. 10, Block B, P & A. Buildings, 1 Jeevaratnam Nagar, Adyar, Madras-600 020	01-10-93
2.	010364	Mr. Mani G. ACA, Project Development Manager, King Manufacturing Co. Ltd., P O. Box 500 Mushin Lagos, Nigeria.	01-1 0-93
3	014831	Mr. Desikan V. ACA Chartered Accountant 5 Sundararna Nagar Subraamanipuram, Tiruchirapalli-620 020	01-10-93
4.	015517	Mr. Vinod Sharma ACA, Chief Finance Manager (LPG) Indian Oil Corporation Ltd., 139 Nungambakkam High Road Madras-600 034	01-10-93
5.	019657	Mr. Prabhakar B. A. ACA, Tejaswi 1169 I Main II Block BEL Layout, Vidyaranyapura, Bangplore-560 103	
6.	019952	Mr. Gaitonde Girish M. FCA, Chartered Accountant, Saptapur, Third Cross, Dharwad-580 001	01-10-93
7.	020387	Mr Mahidhar K. ACA, Chartered Accountant, Plot No. 44, Flat 102, Meghana Apts., Bhagya Nagar Co. Kukatpally, Hyderabad-500 872	01-10-93
8.	020486	Mr. Kalyanara man S. ACA 1423B, Amodu Tijani Street, Victoria Island, P. B. 7793 Lagos, Nigeria,	01-10-93
9.	021117	Mr· Devadas S. FCA, Chartered Accountant, 211, 9th Main Roadpa Block, Second Block, Jayanagar, Bangalore -560 011	01-01-93
10.	021145	Mr. Ram R. ACA, Chartered Accountant, 5 Rukmani Road, Kalashetra Colony Besant Nagar, Madras-600 090	01-10-93
11.	021259	Mr. Babu Thiagarajan ACA, 111 Benjamin Court, Dayton NJ 8810 U.S·A.	01-10-93
12.	021356	Mr. Chandrasekaran B.G. ACA 12 Raman Street B. 3, Alankar Apartments T· Nagar, Madras 600 017	01-10-93
13.	021607	Mr. Sheik Mohideen S. FCA, Chartered Accountant, Pettai, Kadayanallur 627 751	01-10-93
14.	021653	Mr. Sampathkumar S. FCA Flat No. 15 40 Sir C. P. Ramaswamy Road Abhiramapuram Madras 600 018	01-10-93
15·	021835	M. Santhanam N. ACA· Senior Accounts Officer Bharat heavy Electricals Limited, Mysore Road, Bangalore-560 026	01-10-93
16·	022809	Mr. Subbarao K. V. ACA, Assistant Manager (F) A. P. State Financial Corporation 3-4-21 Main Road, Sangareddy 502 001	01-10-93
17.	022881	Mr. Nookaraju Karagani FCA, Sr. Accounts Officer, Milk Products Factory Vijayawada-520 009	01-10-93
18.	023174	Mr. Shashagiri K. V. FCA, Chartered Accountant 732 Oppanakara Street, III Floor, Coimbatore-641 001	01-10-93
19.	023232	Mr. Ashok P. ACA, K-5, I.H.F.D. Flats 27, Dr. Ambedkar Road, Velandipalayam Post, Coimbatore-641 025	01-10-93
20.	023633	Mr. Annangi U. G. ACA, Chartered Accountant 1938, Kadalkar Galli Karnataka State Belgaum-590 002	01-10-93
21.	023743	Mr. Aramvalarthan S, ACA Mulappakkam Mannampandal-609 305	01-10-93

1	2	3	4
22.	024038	Mr. Dharmalingam V. ACA 3-S Sunflower Apts., Mandapam, Cross Road, Kilpauk, Madras-600 010.	01-10-93
23.	024186	Mr. Negalur Raghavendra Venkatesh FCA, Chartered Accountant Laxmi Niwas, First Floor, Toravi Galli Hubli-580 020	01-1-93
24.	024300	Mr. Raghavan M. V. FCA Chartered Accountant, 1 A. P. Arasu Street, Kodungaiyur Road, Moolakadai Madras-600 051	01-10-93
25.	024426	Mr. Krishna Murthy S V. ACA No. 12 South Street Agraharam, Singanallur, Coimbatore-641 005	01-10-93
26.	024540	Mr. Sudheer Babu K. B ACA Controller of Finance & Accounts, Greater Cochin Development AUT Kadavanthra Cochin 682 020	01-10-93
27.	024713	Mr. Annadurai V. ACA No. 8 SCP Flats 13 Chakrapant Street Extension West Mambalam, Madras-600 033	01-10-93
28.	024715	Mr. Oscar C. Alabuquerque ACA C/o ABN-Amro Bank, P O. Box 2567, Dubai U.A.E.	01-10-93
29.	025112	Mr. Gobindarajan R ACA, Senior Branch Manager GIC Housing Finance Ltd., Vinayaka Complex 44/45 Residency Road Cross, Bangalore-560 025	01-10-93
30.	025163	Mr. Narasimhachari S. N. FCA Chartered Accountant 188, Gandhi Road, Tirupati 517 501	
31.	025199	Mr. Mohan Kumar A. V. ACA Chartered Accountant No. 13, Manjunatha Nilaya Vivek Nagar Extn., Bangalore-560 047	01-10-93
32.	025687	Mr. Gnanasekaran B. ACA, Chartered Accountant, No. 38 Nehru Nagar, Pondicherry 605 011	01-10-93
33.	026183	Mr. Sambasiva Rao K. ACA, 8-3-977/8/5 Vella Reddyguda Hyderabad-500 873	01-10-93
34.	026342	Mr. Vasanth Kumar C. R. FCA Chartered Accountant, J.P. N. Road, Shimoga 577 201	01-10-93
35.	26952	V. Arunachalam, ACA Nelliyan Stocks, 127, Ist Floor, D. B. Road, R. S Puram, Coimbatore-641002	01-10-93
36.	026859	Mr. Krishnan G. FCA Chartered Accountant, Premier Shopping Complex 1 Floor, 102 Saradha College Main Road, Salem-636 016	01-10-93
37.	027077	Ms. Vijayashree D. Chari ACA N0 89 Habibullah Road, T Nagar, Madras-600 017	01-10-93
38.	027626	Mr. Narasimha Reddy M. ACA Chartered Accountant N0. 530/39 10th C. Main Road, 6th Block Rajajinagar, Bangalore 560 010	01-10-93
39.	027756	Mr Madhukar Babu . K ACA Chartered Accountant Price Waterhouse, P O. BOx No. 26403 Manama, Bahrain.	01-10-93
40.	028072	Mr. Mohana Rao P. ACA, Plot No. 14 Salivahana Nagar Colony, Near Srinagar Colony Hyderabad-500 873	01-10-93
41.	028165	Mr. Ganesh Ch. S. R.V. G.K, A.C.A., Asstt. Manager (F&A) Visakhapatnam Steel Plant, Administrative Building, Visakhapatnam-530 031	01-10-93
42.	028232	Mr. Vajjalu Jayanthy ACA, Chartered Accountant Flat No. 18 Bathina Apartments, Behind Chowdary Mansion, Ameerpet, Hyderabad-500 016	01-10-93
43.	028275	Mr. Ramesh K. ACA, Chartered Accountant No. 8, XI Street, Tansi Nagar, Velachery, Madras-600 042	01-10-93
44.	028941	Mr Khater Uamesh Kumar K Chartered Accountnat, 153 Mint Street, "Ashirwad", Ist Floor, Madras-600079	01-10-93

1	2	3	4
45.	029154	Mr. Narayanan S. ACA, No 33 II Bharathiar Street, Palavanthangal, Madras-600 114	01-10-93
46.	029155	Mr. Kannan S R. ACA, Accountnat, Bahrain Financing Company, P. O. Box No. 243 ,Manama, State of Bahrain.	01-10-93
47.	029183	Mr Sivaraman S, ACA, Al-112, XI Main Road, Anna Nagar Madras-600 040	01-10-93
48.	029255	Mr. Prasad K. ACA Al. Yousef International, Enterprises, P B. No. 200 P Code-113, Muscat Sultanate of Oman.	01-10-93
49.	029276	Mr· Gnanasakaran E. S., ACA Chartered Accountant.. 43 New Agrahara Street, Erode-638 001	01-10-93
50.	029375	Mr. Nath A. S. ACA Chartered Accountant H-3, Jawahar Nagar, Trivandrum-695 041	01-10-93
51.	029400	Mr. Krishnamoorthy Naidu P. ACA Chartered Accountant, Plot No. 201, Prashanth Apts. (Old) Subhash Nagar, Srinagar Colony Hyderabad-500 873	01-10-93
52.	029479	Mr. Laxmi Prasad P. ACA Chartered Accountant 1-2-597/6 Lower Tank Bund Road Domalguda Hyderabad-500 029.	01-10-93
53.	029525	Mr. Kalaialagan D., ACA Chartered Accountant 9, V.K.H. Buildings 5, Thennamaran St. Vellore 632 001.	01-10-93
54.	029560	Mr. Abdul Kadir Jailani Ruknuddin, ACA C/o Siddique & Basha ENT Post Box No. 3235 Dubai-U.A.E.	01-10-93
55.	029596	Mr. Ramakrishna Reddy R. ACA Chartered Accountant 7/4/1 II Floor, V. Block 59th Cross Near Bhashyam Circle Bangalore-560 010	01-10-93
56.	029707	Mr. Venkata Kesari K. ACA Chartered Accountant 102, Sunny Palace Himayatnagar Hyderabad	01-10-93
57.	029745	Mr. Balakrishnan V., ACA Chartered Accountant D No. 24, I Floor, III Stage II Block, Basaweshwara Nagar (Near Apex Bank) Bangalore-560 079.	01-10-93
58.	029762	Mr. Giridhar G., ACA Chartered Accountant F-5 & 7 Hyderabad Business Centre Hyderguda Hyderabad-500 029	01-10-93
59.	029928	Ms. Prathibha A.N., ACA 150 32nd "A" Main 5th Cross ITI Layout J.P. Nagar Phase I Bangalore-560 078.	01-10-93
60.	029982	Mr. Suresh N., ACA 56, S.N.R. Flats Jubilee Road West Mambalam Madras-600 033	01-10-93
61.	031507	Mr. Manoharlal Palrecha, ACA 50 Morkathal Street First Floor Purasawalkam High Road Madras-600 007.	01-10-93
62.	041134	Mr Koppikar Yogin Mohan, ACA Chartered Accountant B-3 Krishna Leela 29, 8th Main Road Malleswaram Bangalore-560 003.	01-10-93
63.	052333	Mr. Ramchander Tumuluru Sri ACA 2-2-3/A/3B Durgabai Deshmukh Colony Road Hyderabad-500 007.	01-10-93
64.	073178	Mr· Sarangapani C.H., ACA Chartered Accountant 1-1-515 Near Balaji (Theatre) Complex Gandhi Nagar Hyderabad-500 380.	01-10-93
65.	083838	Mr. Raman A.N., ACA Director Rubicon Management Services (P) Ltd., 249 Safi House (First Floor) Mount Soad (Opp. Teynampet Cong. Madras-600 006.	01-10-93
66.	087579	Mr. Ashish Kankan, ACA Chartered Accountant C-III/104, Kamal Apartments Bani Park Jaipur.	01-10-93
67.	200202	Mr. Robson Joel V., ACA Chartered Accountant 60 II Main Road R.A. Puram Madras 600 028.	01-10-93
68.	200204	Mr. Sudhir Rao M., ACA 'Suma' 11 8th Main IV Block Banashankari III Stage Bangalore-560 085.	01-10-93
69.	200214	Mr. Bhagavatula Chandra Mohan ACA D. No. 47-3-36 Dwarakanagar Visakhapatnam-530 016.	01-10-93
70.	200430	Mr. Seenivasan K., ACA Chartered Accountant 612-A Main Road Kovilpatti-627 702.	01-10-93
71.	200559	Mr. Anantha Padmanabha Alse A, ACA Chartered Accountant 14/8 Narayani Apartments Sringeri Mutt Road R.A. Puram Madras 600 028.	

1	2	3	4
72.	200612	Mr. Manohar S., ACA Agaram Post (Via) Pisattur Chittoor-517 587.	01-10-93
73.	200628	Mr. Mrityunjaya Anant Hegde., ACA Room No 6 II Floor 104/1, Swastik Complex S.C. Road Sheshadripuram Bangalore-560 020.	01-10-93
74.	200685	Mr. Mohana Murali S., ACA Chartered Accountant Plot No. 45 Soujanya Colony New Bowenpally Secunderabad-500 011.	01-10-93
75.	201288	Mr. Anandaramakrishnan K., ACA 56 Power Mansion 23 Millers Road Kilpauk Madras-600 010.	01-10-93
76.	201829	Ms. Sujatha Frederick, ACA National Aromatics And TD Petrochemicals Corpn. Ltd., 480 Anna Salai Nandanam Madras-600 035.	01-10-93
77.	202260	Mr Ravula Sridhar Rao, ACA Chartered Accountant 2 Central Views Apartments New Bholguda Secunderabad	01-10-93
78.	202454	Mr. Prasanna M.V, ACA Chartered Accountant No. 1154 III Main, 5th Cross opp. Rararajeswari Kalyan Manta Prakash Nagar Bangalore-560 021	01-10-93

A.K. MAJUMDAR
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 14th June 1994

No. N-15/13/14/8/87-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-5-1994 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Erumapalayam, Masinaickanpatty, Reddiyur Group and Kandampatty in taluk and District of Salem".

O. ABDUL HAMEED,
Director (P&D)

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 6th June 1994

No. UT/DBDM/2125A/SPD 718/93-94.—The provisions of the Monthly Income Unit Plan 1994 (II) formulated under Section 19 (I) (8) (C) of the Unit Trust of India Act and the Monthly Income Unit Scheme 1994 (II) made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the Meeting held on 2nd May, 1994 and amended in the Meeting held on 16th May 1994 are published here below.

G. PRADEEP KUMAR,
Deputy Manager,
Business Development & Marketing.

MONTHLY INCOME UNIT PLAN 1994 (II)

MIP '94 (II)

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and Section 19 (1) (8) (c) of the said Act, the Board of the Unit Trust of India hereby makes the Monthly Income Unit Scheme and Plan in relation to such Unit Scheme as per the following provisions.

PROVISIONS OF THE MONTHLY INCOME UNIT SCHEME 1994 (II)[MIUS '94(II)]

I. *Short Title and Commencement* :

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Unit Scheme 1994 (II) [MIUS '94 (II)].

(2) It shall come into force on the 23rd day of May, 1994.

The Scheme shall be for a period of four years from 1st July 1994 to 30th June 1998.

(3) Units will be on sale only for a period of 15 days from 23rd May, 1994 to 6th June, 1994.

Provided, however, that the Chairman or Executive Trustee may suspend or extend the sale of units under the schmee and plan made thereunder at any time by giving 7 days prior notice in leading newspapers or in such other manner as may be decided.

II. *Definitions* :

In this scheme and plan made thereunder, unless the context otherwise requires :

(a) The "Act" means the Unit Trust of India Act 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust after being satisfied that such application is in order accepts the same;

(c) "Applicant" means an applicant under the scheme and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person.

(d) "Applicaion" means the application referred to in Clause II of the Plan.

(e) "eligible institution" means an eligible trust as defined under the Unit Trust of India General Regulations 1964 and includes Private Trusts created by an instrument in writing and being irrevocable or a Charitable or Religious Trust or endowment or registered society which is administered, controlled or supervised by or under the provisions of a Central or State enactment which is for the time being in force, or a registered co-operative society

(f) "Mentally handicapped persons" means :
any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life and is so certified by any Registered Medical Practitioner.

(g) "number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(h) "person" shall include an eligible institution as defined above.

(i) "recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(j) "regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(k) "Society" means a society established under any State or Central law for the time being in force.

(l) "unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(m) "member" used as an expression under the scheme and plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme.

(n) "alternate applicant" in case of minor means parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(o) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

III. *Valuation of assets pertaining to this Scheme* :

(1) For the purposes of valuation of the assets under the scheme, the assets shall be classified into :

(A) cash (B) investments and (C) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking :

A. (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this scheme provided where security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in, or quoted on any recognised stock Exchange, such value as the Trust may in the circumstances consider to be the fair value of such investments; and

B. Adding thereto—

(a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not received :

(b) in the case of Government Securities and debentures, interest accrued but not received, and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend any dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

IV. *Trust not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme and the Plan made-thereunder* :

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membership Advice has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognize such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognize any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

V. *Transfer of Units* :

Units issued under the Scheme are not Transferable/Pledgeable/Assignable.

VI. *Investment Limits* :

(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not.

VII. *Development Reserve Fund (DRF) contribution* :

0.25% of the funds collected under the Scheme shall be set aside as contribution towards UTI's DRF in the first year, and at the rate of 0.05% of NAV per annum thereafter.

VIII. *Publication of Accounts* :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme and the plan made thereunder during the period ending as of that date.

The Trust shall, on a request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts so published.

IX. *Additions and Amendments to the Scheme and the plan made thereunder* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette.

X. *Termination of the scheme and plan made thereunder* :

The scheme and plan made thereunder shall stand finally terminated on 30th June 1998. All members who have participated in the scheme and plan made thereunder for its entire period shall be paid the value of the units at the final repurchase price fixed for the purpose. The Trust shall endeavour to pay the repurchase price proceeds to the members within 3 weeks from the receipt of Membership Advice alongwith the form of repurchase at the Office of issue/the Registrar. Besides receiving the final repurchase price determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. The Membership Advice and other forms received for repurchase shall be retained for cancellation.

XI. *Copy of scheme and plan made thereunder to be made available* :

A copy of this scheme and plan made thereunder incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and payment of Rupees five.

XII. *Power to construe provisions* :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the scheme and plan made thereunder, Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme and plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIII. *Relaxation/variation/modification of provisions* :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme and plan made thereunder, relax, vary or modify any of the provisions of the scheme and plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient.

XIV. *Scheme and plan made thereunder to be binding on members* :

The terms of the scheme and plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding not withstanding anything contained in the provisions of the scheme and plan made thereunder.

XV. *Benefits to the members* :

All benefits accruing under the scheme and plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme and plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the scheme and plan made thereunder till its closure.

PROVISIONS OF THE MONTHLY INCOME UNIT PLAN 1994 (II) [MIP '94 (II)]

I. *Face value of each unit* :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

II. *Application for units* :

(1) Applications for units may be made by residents only viz.

(a) individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the Scheme including Private Trusts being irrevocable and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other bodies corporate including bank & non profit making companies formed u/s. 25 of the Companies Act, 1956 but excluding other companies registered under Companies Act, 1956.

(h) Hindu Undivided Family.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

III. *Minimum amount of investment*

Application in respect of Monthly Income option shall be made for a minimum of 500 units and thereafter in multiples of 50 units. Likewise under the Cumulative option, application shall be made for a minimum of 200 units and in multiples of 50 thereafter. There will be no maximum limit under either of the options.

IV. *Mode of Payment*

(1)(i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its office may do so by sending the application to the office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for deducting therefrom charges payable for bank draft.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust or authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) A Membership Advice will be sent by post to the address given by the applicant. The Trust will not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice, so sent.

(iv) A Membership Advice issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate.

(2) *Right of Trust accept or reject application* :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme and plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibilty or otherwise of a person to make an application under the scheme and plan made thereunder shall be final.

Incomplete Application Liable For Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without any interest whatsoever after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) *Applicant bound to comply with requirements under the scheme and plan made thereunder before being issued units* :

Persons applying for units under the scheme and plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

V. *Sale of Units* :

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall, as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice evidencing that he has been admitted as a member in the scheme and the plan made thereunder. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the membership advice so sent.

1. [*Reinvestment option to unitholders under Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus Growth-12 (MISG-12) and Growing Income Unit Scheme-89 (GIUS 89)*

MISG (12) 89 shall be maturing on 01-07-1994. GIUS 89 shall be maturing for payment on 01-7-1994 or 01-8-1994 depending on the date of joining the scheme. Eligible unitholders under the two schemes shall be permitted to opt for reinvestment of their holdings into units of this scheme (or Plan as the case may be). For this purpose the scheme (or

Plan as the case may be) shall be open from 1st July 1994 to 31st August 1994. The date of allotment will be 1-9-94 for such members. The period of holding will be four years i.e. upto 31-8-1998.]

VI. *Repurchase of units* :

(1) There shall be a one year lock-in-period. There shall be no repurchase during the first year (i.e. upto 30-06-1995).

(2) Monthly Income option : The Trust shall during the Second year repurchase units at par after deducting the administrative cost not exceeding 5% of the fact value, plus dividend upto the previous month. From the third year onwards (i.e. from 01-07-1996) repurchase of units shall be at par after deducting administrative cost upto 2% of the face value, plus dividend upto the previous month. Repurchase shall be effected on receipt of the Membership Advice with the form of repurchase duly filled in. All the units indicated in the advice should be tendered for repurchase. No partial repurchase of units shall be permitted. The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

The Trust shall not on accepting the Membership Advice along with the form for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds. All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase price such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On the acceptance of the Membership Advice and the form for repurchase by the Trust, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution of the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice, the form of repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the formalities in connection with the recognition of claim, repurchase the units as elaborated in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of the settlement of the claim and such payment shall be made for periods of whole months.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) *Cumulative Option*

The Trust shall in case of Cumulative option repurchase the units at par during the second year after deducting the administrative cost not exceeding 5% of the face value, plus compensation equivalent to the dividend under the Monthly Income option in the event of such repurchase as specified in the relevant clause hereinabove. On completion of two years (i.e. for members with the Trust till 30-06-1996) units will be repurchased at Rs. 12.95 per unit. From the third year onwards (i.e. from 01-07-1996) repurchase of units shall be at par after deducting administrative cost upto 2% of the face value, plus compensation equivalent to the dividend paid under the Monthly Income option in the event of such repurchase as specified in the relevant clause hereinabove. Partial repurchase will be permitted.

VII. *Restrictions on repurchase of units* :

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme and plan made thereunder, the Trust shall not be under an obligation to re-purchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of members is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation

For the purpose of this scheme and plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either.

(i) notified under the Negotiable Instrumnets Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

VIII. *Sale and Repurchase price* :

(1) The sale price of units during the period of offer shall be at par.

(2) In the event of termination of the scheme and plan made thereunder in the manner as specified in clause X of the provisions of the scheme the Trust shall determine the repurchase price by valuing the assets pertaining to the scheme as at the close of, business on the date notified for termination reduced by the liabilities pertaining to the scheme and dividing them by the number of units outstanding and deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the expenditure in connection with the closure and payment of the distribution to the members of the assets in respect of the scheme. In such an event the repurchase price shall in addition to the par value bear the other distributable component of the asset per unit arrived at by the Trust in a manner satisfactory to its auditors and as the Board may approve.

Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in these provisions, the repurchase price may also be arrived at by dividing the value of the assets allocated to the Scheme with reference to the period of allocation in such manner as the Board may determine reduced by the liabilities pertaining to the Scheme with reference to the similar period by the number of units at the close of business on the said day. In so determining the repurchase price regard shall be had to the interest of the Trust and the members.

IX. Publication of final repurchase price :

Upon termination of the scheme and plan made thereunder in the manner provided in clause X of the scheme provisions, the Trust shall as early as possible after determining the final repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

X. *Membership Advice* :

No Unit/Membership certificate shall be issued to a member in respect to his membership of units issued under the scheme and the Plan made thereunder. They will however be given a Membership Advice evidencing admission as a member in the scheme and the Plan made thereunder.

1. Inserted on 16-5-94.

XI *Manner of preparation of Membership Advice* :

The Membership Advice shall be as per Form A annexed hereto.

XII. *Exchange of Membership Advice and procedure when advice is mutilated, defaced, lost etc.* :

For the purpose aforesaid the member under the scheme and the Plan thereunder shall follow such rules/guidelines/ procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XIII. *Register of members* :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who has applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XIV. *Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person* :

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minors. The Trust shall be entitled to act on the statements made of such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements and the certificates furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body and a copy of the requisite power of attorney.

XV. *Receipt by member to discharge Trust* :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVI. *Nomination by members* :

(1) Members holding units singly or two members holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution societies, bodies corporate, and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

XVII. *Death of bankruptcy of a member* :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the Scheme and the Plan thereunder. Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the Regulations.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased members or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death or bankruptcy of a member(s) may, upon producing such evidence to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the sole nominee mentioned in the Membership Advice is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

In the event of death of a single member participating under the cumulative option during the lock in period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

XVII. *Income Distribution* :

(1) The member shall have the right to exercise an option to participate in the Monthly Income Option or the Cumulative Option. This shall be done at the time of investment in the Scheme and the option once exercised will be final.

Monthly Income option : For the first two years i.e. from 01-07-1994 to 30-06-1996 the income distribution under the scheme shall be at the rate of 13% per annum. The income distribution amount shall be made payable on a monthly basis.

At the end of 1/2 years i.e. in December '95—January 1996 the dividend rate for the next two years shall be determined and announced. This rate will be applicable for the remaining two years.

The rate of income distribution shall be based upon the income of the scheme and other relevant factors.

(2) The Income Distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such pre-payment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month. The entitlement of dividend will depend upon the date of joining as follows :

23-05-1994 to 31-05-1994 Half month's dividend

01-06-1994 to 06-06-1994 Full month's dividend

In case an applicant opts for rthe Cumulative Option, one consolidated warrant will be paid for the period upto June 30, 1994.

[1][For unitholders of MISG 12 and GIUS 89 who opt for reinvestment of their maturity proceeds into the Plan, the income distribution may be as follows :

For those who join on or before 15th of a month]

[1][Dividend for the full month will be given. For those who join after 15th of a month, dividend for half a month will be given.

For members opting for cumulative options, one consolidated warrant for the period upto 31st August, 1994 shall be given.]

33. Provided that the Income Distribution for the period ending on December 31, 1994 will be sent by one income distribution warrant and shall be forwarded to the member alongwith the 18 post dated Income Distribution Warrants for the months upto June 30th, 1996.

[2][For unitholders of MISG 12 and GIUS 89 who opt for reinvestment of their maturity proceeds into the Plan, the income distribution for the period ending on 28th February 1995 will be sent by one income distribution warrant and shall be forwarded to the member alongwith the 18 post dated Income Distribution Warrants for the period upto 31st August 1996.]

For the remaining two years, 24 post dated income distribution warrants shall be sent as soon as possible after the determination of the revised dividend rate.

The Trust however reserves the right to forward post dated Income Distribution Warrants for such of the members as may be applicable in such manner and for such periods as the Trust may determine.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in two lots and the warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months.

The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase which shall always be in full, the member upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the purchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the sole nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the sole nominee shall be bound to reutrn all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted members.

(7) In the event of the death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or /any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserves its right to make the Income Distribution on a quarterly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency cost, interest of members and other circumstances make it necssary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the members by a publication in two leading English Language daily newspapers. No member shall have a right to claim Income Distribution monthly basis after the Trust makes a notification as above.

(9) *Cumulative Option* : For a member exercising his right to participate under his option his investment will be compounded monthly @13% p.a. for the first two years. The rate of dividend for the remaining 2 years will be 0.5% more than the rate declared for Monthly Income option at the end of 1 1/2 years and would be compounded monthly at that rate.

(10) *Bonus Dividend* : No Bonus Dividend shall be paid under the Scheme.

(1)) *Capital Appreciation on Maturity* : Whatever Capital Appreciation is accumulated under the scheme after deduction of expenses etc. will be distributed to the members who continue till maturity.

FORM A

— EMBLEM —

UNIT TUST OF INDIA

MONTHLY INCOME UNT PLAN—1994 (II)

(CLAUSE XI)

MEMBERSHIP ADVICE

Issued i naccordance with the provisions of the Monthly Income Unit Plan 1994 (II) [MIP-94 (II)] formulated under the Monthly Income Unit Scheme 1944 (II) [MIUS-94 (II)].

NOT TRANSFERABLE

Membership No. :

No. of Units (Face value of Rs. 10/- per Unit) :

Name of the Member :

Address :

Name of the second named Member :

FOR UNIT TRUST OF INDIA

Zonal Head

Place :

Date :

1. & 2. Inserted on 16-5-94.

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS UNDER MIP-94 (II)

Date.....

To,

Unit Trust of India,

.....

.....

I/We .... am/are the registered member(s) / survivor / nominee / heir(s) / legal representative(s) of the deceased member(s) of all units of the Unit Trust of India under Monthly Income Unit Plan 1994 (II) [MIP 94 (II)] contained in Membership Advice No. .... for ..... units and am/are desirous of selling to the Trust all the said units indicated in the Membership Advice at the repurchase price prevailing/ determined by the Trust on the date of acceptance in respect of this application. The relative Membership Advice is enclosed.

The repurchase price of the units may be sent to me/us by *Cheque/bank draft at the address given below.

Signature of witness

Name ....

Occupation :

Address :

.....

.....

Signature(s)/Thumb Impression(s)** of member(s)

1. .....

2. .....

Address of the member/Address of the Banker (should be given if the style has varied and is verified by Banker, in which case the cheque/ DD will be sent direct to the Bank.)

....

....

For office use only

Date of acceptance

Account No. ....

*Delete words not applicable.

**If the member is affixing thumb impression, it should be attested by a Magistrate/Notary/Gazetted Officer of State/ Central Govt or Officer of RBI/IDBI.

No. UT/DBDM/2125-A/EPD 51/93-94.—The amendments to the provisions of the Unit Scheme 1964 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th May, 1994 are published herebelow.

G. PRADEEP KUMAR
Deputy Manager
Business Development & Marketing

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF UNIT SCHEME 1964

(1) Sub Clause (4) of Clause 4 on "Application for units" of the provisions of Unit Scheme 1964 is substituted by the following :

The minimum number of units applied for shall be 100 units and thereafter in multiples of 100 units.

(2) In sub clause 5 (b) of clause 4 on "Application for unit" of the provisions of Unit Scheme 1964 the word "fifty" is replaced with "hundred" wherever it appears.

(3) In clause 6 of the provisions of Unit Scheme-1964 on "Sale of Units" the last sentence is amended as under :

"As soon as possible thereafter, the Trust shall issue to the applicant unit certificate/s representing the units sold to him respectively depending upon the applications for units submitted by him. Each application shall however be for a minimum of hundred units and further applications thereafter shall be in multiples of hundred units.

(4) In sub clause 1 of clause 7 of the provisions of Unit Scheme 1964 on "Repurchase of Units" the word "fifty" is substituted by the word "hundred".

(5) In sub-clause (1) (ii) of clause 7 of the provisions of the Scheme, the word "fifty" is replaced with the word "hundred".

(6) Sub clause (1) (iii) of clause 7 of the provisions of the Unit Scheme 1964 is substituted by the following (iii) On sale of part of the units comprised in a unit certificate, the Trust will issue to the seller a certificate for the balance of the units held by him. The Trust will issue a certificate for the balance only if there is a minimum of hundred units and in multiples of hundred units over and above the basic minimum of 100 units. Balance of units being less than hundred must compulsorilly be repurchased by the unitholder".

(7) Clause 12 of the provisions of Unit Scheme 1964, on "Unit Certificate" is amended as "A unit certificate may represent any denomination of units, being a multiple of hundred.

(8) In the first para of sub clause (2) clause 16 of the provisions of Unit Scheme 1964 the word "fifty" wherever appearing is substituted by the word "hundred."

(9) In sub clause (1) of clause 20 of the provisions of Unit Scheme 1964, the word "fifty" is substituted by the word "hundred" and second sentence is substituted as under :

"Any balance of units consequent upon transfer of units not in multiples of hundred will have to be compulsorily repurchased".

The following sentence is added to the above sub clause :

"If all units under a unit certificate are offered for transfer, the same shall be accepted even if the number of units is not in multiple of 100."

No. UT/DBDM/2125A/SPD55/93-94.—The amendments to the provisions of the Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th May, 1994 are published herebelow.

G. PRADEEP KUMAR,
Deputy Manager,
Business Development & Marketing.

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF CHILDREN'S GIFT GROWTH FUND 1986 (CGGF'86)

(1) Clause 3 on 'Face Value of Units' is amended as under :—

The face value of each unit shall be ten rupees with a minimum investment of 200 units (i.e. Rs. 2000/-) and in multiples of 100 units thereafter, with no maximum limit.

(2) In clause 10 1(i) on 'Repurchase of Units' the words 'a multiple of 10 units' appearing in the second para is substituted by a multiple of 100 units and the words 'less than 50 units' appearing in the third para is substituted by 'less than 200 units'.

(3) In Clause 25(b) (ii) the second paragraph is amended as under :

"If no application for repurchase is made by the child when he attains the age of 21 years, the income distribution, if any declared will accrue to the units outstanding to the credit of the child which shall be reinvested every year in further units by the Trust till the unitholder surrenders the Certificate for repurchase."

No. UT/DBDM/2125A/SPD64/93-94.—The amendments to the provisions of the Children's College & Career Fund Unit Plan 1993 formulated under Section 19(1)(B)(C) of the Unit Trust of India Act and the Children's College & Career Fund Unit Scheme 1993 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the Meeting held on 16th May 1994 are published herebeolw.

G. PRADEEP KUMAR,
Deputy Manager,
Business Development & Marketing.

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF CHILDREN'S COLLEGE AND CARLER FUND UNIT SCHEME 1993 AND PLAN MADE THEREUNDER (CCCF 93)

1. In Clause 3 of the provisions of the Scheme and in Clause 1 of the provisions of the Plan the words "in multiples of 50 units thereafter" is substituted by "in multiples of 100 units thereafter".

2. In the 'Memorandum of Repurchase', the figure '50' appearing in the second column is replaced with '100'.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1994